भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2402
13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषयः पीएम-किसान के अंतर्गत सक्रिय लाभार्थी

2402 श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत सक्रिय लाभार्थियों की संख्या वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान ई-केवाईसी, आधार सीडिंग अथवा भूमि अभिलेख सत्यापन से संबंधित समस्याओं के कारण निष्क्रिय या बहिष्कृत लाभार्थियों की संख्या वर्ष-वार कितनी है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विशेष रूप से डीजल, उर्वरक, भूमि किराया आदि इनपुट लागतों में भारी वृद्धि को देखते हुए लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रति वर्ष ₹6,000/- का वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित किया जाता है। पीएम किसान योजना के तहत, उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का होना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंड है। भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 (वर्तमान तक) के लिए पीएम किसान योजना के तहत वित्त वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले, पीएम-किसान योजना के तहत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। लाभार्थी राज्य भूमि अभिलेखों के अनुसार वास्तविक कृषि योग्य भूमिधारक है या नहीं, इसकी पुष्टि और प्रमाणीकरण के लिए 12वीं किस्त अवधि (अगस्त-नवंबर 2022) से लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। त्रुटियों और गलत भुगतानों को रोकने के लिए, यह सुनिश्चित करने हेतु कि लाभ सीधे नियत लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित हो, आधार-आधारित भुगतान 13वीं किस्त अवधि (दिसंबर 2022-मार्च 2023) से अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद, लाभार्थी की पहचान और जीवित होने की स्थिति की पुष्टि के लिए 15वीं किस्त अवधि (अगस्त-नवंबर 2023) से ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया था। योजना के तहत लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। जिन लाभार्थियों का लैंड सीडिंग, बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग या ई-केवाईसी लंबित है, उनके भुगतान अनुपालन होने तक रोक दिए जाते हैं।

प्रत्येक किस्त के समय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड की गई पात्र लाभार्थियों की सूची के आधार पर विभिन्न किस्तों में लाभार्थियों की संख्या में भिन्न-भिन्न होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, फील्ड लेवल अधिकारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थी की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करते हैं और उन्हें तदनुसार पात्र घोषित करते हैं। जो लाभार्थी पात्र नहीं पाए जाते हैं, उनके नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटा दिए जाते हैं, जैसे कि अनिवार्य आवश्यकताओं (लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी, आधार सीडेड बैंक खाता) का पूरा न होना, लाभार्थी की मृत्यु, कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की स्थिति में परिवर्तन, योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित अपवर्जन मानदंडों के अंतर्गत आना, एक ही परिवार के सदस्यों को लाभ मिलना, एनआरआई आदि।

चूंकि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एक सतत और व्यापत प्रक्रिया है, इसलिए लंबित लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी और बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग के कारण लाभार्थियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। दिनांक 09.03.2026 तक इन आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने वाले लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

भुगतान रोकने के कारण	**लाभार्थियों की संख्या**
लैंड सीडिंग का लंबित होना	16,83,442
बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग का लंबित होना	23,45,714
ईकेवाईसी लंबित होना	33,60,535

जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, योजना के तहत उन्हें मिलने वाले लाभ शुरू हो जाएंगे।

(ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध I

2020-21 से पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या (09/03/2026 तक)

#	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16,324	16,283	14,992	14,317	13,755	13,159
2	आंध्र प्रदेश	49,46,035	46,19,524	47,84,881	44,96,441	42,73,605	40,06,453
3	अरुणाचल प्रदेश	92,193	93,601	95,102	97,853	97,059	88,292
4	असम	19,05,466	16,87,023	11,00,360	16,67,111	21,33,298	19,33,783
5	बिहार	77,45,590	82,96,409	83,54,914	80,60,817	78,05,808	73,65,327
6	चंडीगढ़	432	397	367	352	351	-
7	छत्तीसगढ़	30,14,427	32,57,967	29,60,372	23,80,380	26,56,455	25,17,925
8	दिल्ली	14,436	15,049	14,979	14,183	11,382	11,516
9	गोवा	9,682	9,454	9,118	6,471	6,550	6,296
10	गुजरात	56,69,142	58,87,634	59,64,213	51,43,131	52,63,245	51,38,305
11	हरियाणा	18,77,736	18,86,083	18,62,520	16,96,762	16,82,265	16,09,832
12	हिमाचल प्रदेश	9,18,886	9,51,595	9,46,631	8,31,672	8,55,380	8,29,996
13	जम्मू और कश्मीर	11,49,616	11,19,555	11,07,448	8,36,282	9,00,093	8,73,673
14	झारखंड	23,83,496	17,95,402	22,61,949	18,94,615	23,56,558	18,89,647
15	कर्नाटक	53,84,873	53,13,147	51,89,101	51,66,287	45,92,148	43,29,135
16	केरल	34,88,791	35,58,374	34,97,817	28,08,428	29,25,137	28,89,822
17	लद्दाख	17,366	17,917	17,674	18,696	18,731	17,931
18	लक्षद्वीप	828	870	848	2,121	2,363	2,313
19	मध्य प्रदेश	82,72,510	85,44,402	85,42,494	83,18,470	86,49,217	83,01,722
20	महाराष्ट्र	1,08,22,911	1,05,40,843	1,04,52,465	96,98,540	94,36,993	92,05,501
21	मणिपुर	4,99,775	3,11,186	3,67,659	1,06,905	2,13,204	74,094
22	मेघालय	1,81,602	1,96,264	1,00,862	1,06,187	1,92,168	1,79,617
23	मिजोरम	1,47,358	1,07,435	88,317	95,748	1,34,953	1,28,014
24	नागालैंड	1,98,019	1,99,918	1,97,179	1,71,559	1,88,643	1,88,784
25	ओडिशा	25,55,046	33,02,955	33,91,308	32,26,171	35,42,467	34,65,575
26	पुदुचेरी	10,797	10,408	10,235	8,893	8,353	5,538
27	पंजाब	19,09,422	17,75,552	17,08,248	10,26,723	10,74,310	11,34,567
28	राजस्थान	67,68,375	73,40,508	72,60,802	70,20,899	77,09,285	71,79,664
29	सिक्किम	8,470	10,297	11,726	21,874	32,306	31,328
30	तमिलनाडु	44,58,742	37,82,243	32,29,963	23,21,666	22,85,603	22,24,726

#	राज्य/संघ क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21 लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 लाभार्थियों की संख्या
31	तेलंगाना	36,38,470	36,53,237	35,81,208	32,02,414	31,57,707	30,48,771
32	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	14,285	12,819	12,958	12,551	12,025	11,808
33	त्रिपुरा	2,20,602	2,19,602	2,34,749	2,46,798	2,41,771	2,15,587
34	उत्तर प्रदेश	2,35,76,872	2,45,62,781	2,43,04,816	2,26,33,024	2,45,54,338	2,29,17,063
35	उत्तराखंड	8,62,087	8,98,144	9,00,588	8,57,740	8,39,915	8,19,201
36	पश्चिम बंगाल	-	46,44,539	48,69,629	49,19,445	46,75,920	44,78,537
	कुल:	**10,27,80,662**	**10,86,39,417**	**10,74,48,492**	**9,91,31,526**	**10,25,43,361**	**9,71,33,502**

* * * * *